संख्या-57 / 2015 / वे0आ0-2-949 / दस-8(मु0स0स0) / 2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव एवं राज्य सम्पति अधिकारी,
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 02 नवम्बर, 2015**

विषय- राज्य सम्पत्ति विभाग के टेलीफोन आपरेटर संवर्ग को ई0डी0पी0 संवर्ग में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के टेलीफोन आपरेटर संवर्ग को ई0डी0पी0 संवर्ग में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैं:--

राज्य सम्पत्ति विभाग में गठित टेलीफोन आपरेटर संवर्ग के उपयोगी न रह जाने के दृष्टिगत इस संवर्ग को ई0डी0पी0 संवर्ग में परिवर्तित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाये:--

(I) टेलीफोन आपरेटर के पद पर वेतन बैण्ड-1, रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/- के ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 में 10 वर्ष की सेवा पर वेतन बैण्ड-1, रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/- प्राप्त हो चुका हो, उन्हें कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर पद सहित समायोजित कर दिया जाये। उक्तानुसार प्रतिबन्ध पूर्ण न करने वाले टेलीफोन आपरेटर यथावत् बने रहेंगे और जैसे-जैसे ए0सी0पी0 में ग्रेड वेतन रु0 2400/- पाते जायेंगे, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों के सापेक्ष पद सहित समायोजित होते जायेंगे। भविष्य में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर शत-प्रतिशत सीधी भर्ती कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के लिए निर्धारित अर्हता के अभ्यर्थियों से की जायेगी।

(II) वरिष्ठ टेलीफोन आपरेटर वेतन बैण्ड-1, रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/- के पद के पदधारक पद सहित कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी में परिवर्तित हो जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भविष्य में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद 06 वर्ष की सेवा वाले कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(III) मुख्य टेलीफोन आपरेटर वेतन बैण्ड-2, रु0 9300-34800 वं ग्रेड वेतन रु0 4200/- के पद के पदधारक पद सहित कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी में परिवर्तित हो जायेंगे। भविष्य में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद 06 वर्ष की सेवा वाले कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(IV) टेलीफोन आपरेटर संवर्ग के कम्प्यूटर आपरेटर संवर्ग में समायोजित पदधारकों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा।

(V) उक्त व्यवस्था का समावेश सेवा-नियमावली में संशोधन के माध्यम से कर लिया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-57/2015/वे0आ0-2-949(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in